मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2000 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 18 फरवरी, 2000 (माघ 29, 1921)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री बाबूलाल मेवरा, मुंशीलाल, सदस्य, ग्वालियर जिले की रायरू डिस्टलरी से प्रदूषण फैलने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री प्रेमचन्द "गुड्डू", सदस्य, भोपाल में विशिष्ट सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति के लिए प्रशासन द्वारा उपयुक्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध न कराये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री अनूप मिश्रा, सदस्य, भोपाल विश्वविद्यालय के दूरवर्ती शिक्षा संस्थान द्वारा प्रदेश में विभिन्न शिक्षण संस्थाओं की मान्यता समाप्त किये जाने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री नित्य निरंजन खम्परिया, सदस्य, जबलपुर जिले के बरगी बांध के गेट्स में उपयोगी रस्से की खरीदी में अनियमितता होने की ओर नर्मदा घाटी विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) सर्वश्री लक्ष्मण सिंह गौड़, कैलाश विजयवर्गीय, हिम्मत कोठारी, सदस्य, शाजापुर जिले के सुसनेर के पास राज्य परिवहन निगम की बस को लूटे जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, भोपाल में कृषि उपज मण्डी हेतु आरक्षित भूमि पर अतिक्रमण व अवैध निर्माण होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, भोपाल नगर स्थित कोलार आवर्धन परियोजना को निरस्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का आकर्षित करेंगे.

(8) सर्वश्री प्रेमसिंह पटेल, लालसिंह आर्य, नरेन्द्र बिरथरे, सदस्य, बड़वानी विधान सभा क्षेत्र में आदिवासियों के लिए पर्याप्त राहत कार्य न होने से उत्पन्न स्थिति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में अरवा चावल की लेवी अनिवार्य करने से उत्पन्न स्थिति की ओर राज्यमंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) सर्वश्री बाबूलाल गौर, अंचल सोनकर, अजय विश्नोई, सदस्य, जबलपुर के गुरंदी बाजार में पुलिस व नगर निगम कर्मियों द्वारा मारपीट किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री बाबूलाल गौर, सदस्य, भोपाल के ईदगाह हिल्स क्षेत्र में अतिक्रमण होने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री महेश तिवारी, सदस्य, कवर्धा जिले के ग्राम पइलपार के सरपंच को आत्महत्या के लिये मजबूर किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, नारायण प्रसाद चंदेल, सदस्य, छत्तीसगढ़ अंचल से मजदूरों का पलायन होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) सर्वश्री लक्ष्मण सिंह गौड़, लक्ष्मीकांत शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, भोपाल स्थित बरकतउल्ला विश्वविद्यालय छात्रावास एवं रायपुर स्थित पॉलिटेक्निक छात्रावास में छात्राओं की संदिग्ध मौत होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, लालसिंह आर्य, मुन्ना सिंह भदौरिया, सदस्य, भिण्ड जिले के मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र की इकाईयों द्वारा प्रदूषित जल छोड़े जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, लक्ष्मीकांत शर्मा, मुंशीलाल, सदस्य, बस्तर क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों में वृद्धि होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) सर्वश्री कैलाश विजयवर्गीय, बृजमोहन अग्रवाल, तेजसिंह सेंधव, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ नगर के समीप एक व्यक्ति की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) श्री लीलाराम भोजवानी, सदस्य, राजनांदगांव जिला मुख्यालय में विकलांगों को ट्रायसिकल का वितरण न होने की ओर राज्यमंत्री समाज कल्याण का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) सर्वश्री लक्ष्मण सिंह गौड़, कैलाश विजयवर्गीय, लालसिंह राणावत, सदस्य, रतलाम जिले की जावरा शुगर मिल को नहीं चलाये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

---2.

निर्धारित समय	
	3. संकल्प
	श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-
30 मि.	"भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में, यह सभा संकल्प करती है कि सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित विषय और उससे संसक्त या उससे प्रासंगिक और आनुषंगिक समस्त अन्य विषयों को मध्यप्रदेश राज्य में संसद द्वारा विधि अनुसार विनियमित किया जाए."
	4. अशासकीय संकल्प
	(1) श्री शिवप्रसाद सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-
30 मि.	"सदन का यह मत है कि प्रदेश के पटवारियों की पदस्थापना गृह तहसील से बाहर की जाय."
	(2) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-
30 मि.	"सदन का यह मत है कि विंध्य क्षेत्र के विकास हेतु विशेष पैकेज दिया जाय."
	(3) सर्वश्री महेश तिवारी, धर्मजीत सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-
30 मि.	"सदन का यह मत है कि प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग और इसके फलस्वरूप बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर प्लास्टिक के निर्माण और उपयोग पर प्रदेश में प्रतिबंध लगाया जाय."
	(4) श्री श्याम होलानी, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-
30 मि.	"सदन का यह मत है कि प्रदेश के ऐसे ग्राम जहां जल स्रोत हैं उन ग्रामों में नल-जल योजना शीघ्र प्रारम्भ की जाय."
	(5) चौधरी राकेश सिंह, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-
30 मि.	"सदन का यह मत है कि शासन के प्रत्येक विभाग में जहां आम जनमानस को काम पड़ता है, एकल खिड़की प्रणाली प्रथा, जिसमें निश्चित समयावधि में काम होना निर्धारित हो, लागू किया जाय."

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 17 फरवरी, 2000